न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —04 / 2019 अपील आर्म्स (RCMS/2019/00041)
पंजीयन दिनांक —09.07.2019
निर्णय दिनांक —24.03.2020

1. श्री सुशील कुमार जैन पिता श्री रामचन्द्र जैन, निवासी 60, कोलीवाड़ा, उदयपुर (राज)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति दौराने बहसः—
1. श्री प्रवीण खण्डेलवाल —अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री योगेन्द्र दशोरा —राजकीय अधिवक्ता

प्रकरण संख्या—2367 / 2019 / विविध अपराधिक, सरकार द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर बनाम सुशील कुमार जैन में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के आदेशदिनांक 04.06.2019 के विरूद्धअपील अन्तर्गत धारा—18 आयुध अधिनियम

निर्णय

दिनांक 24.03.2020

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या—2367 / 2019 / विविध अपराधिक, सरकार द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर बनाम सुशील कुमार जैन में पारित आदेश दिनांक 04.06.2019 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि

- अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर समक्ष विप्र फाउण्डेशन जोन—ए राजस्थान, उदयपुर के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि श्री सुशील कुमार जैन द्वारा बन्दुक से आमजन को अपने राजनैतिक पहुंच के चलते भयभीत कर रहा है, आये दिन अपराधिक कृत्य

कर रहा हैं, बन्दुक को जप्त कर लाईसेन्स निरस्तीकरण किया जाने हेतु निवेदन किया गया।

- प्राप्त शिकायत पर जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर से रिपोर्ट एवं अपीलार्थी से प्रत्युत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया।
- परिवाद में जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 941 दिनांक 16.05.2019 अनुसार श्री सुशील कुमार जैन को शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या–01/2005 जारी होकर 12 बोर एसबीबीएल शस्त्र दर्ज होकर 31.12.2017 तक नवीनीकृत है। अनुज्ञापत्रधारी श्री सुशील कुमार जैन के विरूद्ध निम्नलिखित आपराधिक रिकार्ड दर्ज है–
  1. थाना धानमण्डी पर प्र.सं. 123/95 धारा 324, 34 भा.द.सं. दर्ज हो दिनांक 26.07.2017 को राजीनामा हुआ है।
  2. श्री प्रवीण रतलिया की रिपोर्ट पर थाना सुरजपोल पर श्री सुशील जैन के विरूद्ध इस्तागासा नं. 23/19 धारा 107, 116 जा.फो. के तहत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर के न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो जैरट्रायल है।
  3. थाना हिरणमगरी पर प्र.सं. 176/19 धारा 143, 341, 323 भा.द.सं. दर्ज है जो जैर अनुसंधान है व थाना धारा–151 जा.फो. के तहत गिरफ्तार किया जाकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं।
- थानाधिकारी सुरजपोल व वृताधिकारी नगर पूर्व की पत्र में वर्णित अनुशंषा अनुसार अनुज्ञापत्रधारी श्री सुशील जैन आपराधिक कृत्य करने का आदि हो चुका है, जिससे हथियार का दुरूपयोग हो सकता है। अनुज्ञापत्र को निलम्बन करने का अंकन किया गया हैं।
- प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर की स्पष्ट रिपोर्ट मय अनुशंसा के आधार पर, अपीलार्थी के प्रत्युतर पर विचार विश्लेषण कर, जन सुरक्षा की दृष्टि से एवं श्री सुशील जैन द्वारा अनुज्ञा की शर्तों का उल्लधन करने से, नवीनीकरण कराये बिना हथियार एवं गोली बिना वैध अधिकार के अपने चैतन्य आधिपत्य में रख कर आपराधिक कृत्य करने से जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 04.06.2019 से अपीलार्थी को जारी अनुज्ञा पत्र संख्या–01/2005 तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील दिनांक 09.07.2019 पेश की गई है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर की पत्रावली मय टिप्पणी मंगवाई गयी। प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सुचित किया गया। उभय पक्ष

के अधिवक्ता उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट की लिखित बहस भी प्राप्त।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त नोटिस पर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित में अपना प्रतिउत्तर दिनांक 24.05.2019 को प्रस्तुत किया, उक्त प्रतिउत्तर में भी अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी दे दी गई थी, किन्तु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिउत्तर को दरकिनार करते हुए एवं आयुध अधिनियम की धारा–17 की सही तरह से व्याख्या नहीं कर अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध आयुध अधिनियम के तहत आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने में एक भी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है और न ही उक्त आयुध अधिनियम की धाराओं के तहत किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। निर्णय में जिन प्रकरणों का हवाला दिया गया है उसमें से प्रकरण संख्या–123/95 में प्रार्थी को राजीनामें के तहत न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। अन्य प्रकरण जो 107, 116(3) के तहत दर्ज हुए है, वह भी वर्तमान में उनकी ट्रायल पूर्ण हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं कराये जाने का अंकन किया गया है, वह मिथ्या है, अपीलार्थी द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराया गया जिसका अनुज्ञप्ति में नम्बर 3062/स्टेट/2017 से लगायात 30.05.2020 तक शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कर दिया गया है। सम्बन्धित दस्तावेज प्रतिउत्तर के साथ प्रस्तुत किए गए थे किन्तु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया गया। अपीलार्थी समय समय पर नियमानुसार शस्त्र पुलिस शस्त्रागार में जमा कराता रहा है, अंतिम बार विधानसभा चुनाव दिसम्बर 2018 में शस्त्र पुलिस शस्त्रागार में जमा कराये गये, वह पुनः प्राप्त नहीं किये है। जहा तक विप्र फाउण्डेशन द्वारा प्रस्तुत शिकायत में वर्णित घटना का सम्बन्ध है, एक विशेष वर्ग के लोगों द्वारा पुलिस पर दबाव बनाकर अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदर्मा दर्ज करा दिया गया था जो वर्तमान में अनुसंधान की प्रक्रिया में है। अपीलार्थी द्वारा आयुध अधिनियम के तहत किसी भी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा किसी तरह का भी कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है और ना ही अपीलार्थी द्वारा लोकशान्ति भग की गई है। अपीलार्थी के विरूद्ध जो भी सीआरपीसी के तहत प्रकरण दर्ज हुए है वह राजनैतिक द्वेषता के तहत दर्ज कराये गये है। अपीलार्थी का उसमें लेषमात्र भी दोष नहीं है। इस कारण से अपीलार्थी के वैद्य शस्त्र अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता है, ना ही शस्त्र अनुज्ञप्ति में वर्णित किसी शर्त का उल्लधंन ही किया है, ना ही कभी अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा उल्लघंन बाबत् आज तक दोषी ही पाया गया है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के निर्णय को अपास्त किया जाना प्राकृतिक न्यायालय के आधार पर आवश्यक है। अपीलार्थी के ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश है–

1. 2015 CRI, L.J. 2993 Gujarat High Court, Vipul M. Panchal, J. Spcia Criminal Application (Quashing) No. 3737 of 2014, D/-13-2-2015.
2. 2005 CRI, L.J. 3042 Allahabad High Court (Principal Seat at Allahabad) Arun Tandon, J.-Ram Naresh Trivedi Petitioner v. State of UP and other Respondents.
3. 2013 CRI, L.J. 70 Allahabad High Court (Principal Seat at Allahabad) Ran Vijay Singh, J.- Civil Misc. Writ Petition No. 44148 of 2008, D/-15-12-2011 – Haseeb Ahmed v. Commissioner, Kanpur Manda, Kanpur & others.
4. 2015 CRI, L.J. 645 Uttarakhand/Uttaranchal High Court Alok Singh, J. – Writ Petition No. 2392 of 2014 (M/S), D/-30-10-2014 – Rajesh Kumar Shah vs. State Uttarakhand & others.

अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री सुशील जैन के अनुज्ञा पत्र में दो हथियार क्रमशः एक 0.32 बोर रिवाल्वर न. जे–4916 एवं एक 0.12 एसबीबीएल गन. 1122 दर्ज है और दोनों हथियारों में 50–50 गोली दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा सिर्फ एक शस्त्र 0.12 एसबीबीएल गन. 1122 ही सुरजपोल थाने में जमा कराई गई। अन्य शस्त्र 0.32 बोर रिवाल्वर न. जे–4916 एवं दोनों शस्त्रों की गोली थाने में जमा नहीं कराई गई। अवैद्य एवं विधि विरूद्ध तरिके से अपने आधिपत्य में रखी जो स्वतः एक गंभीर अपराध है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा अनुज्ञा पत्र का 31.12.2017 उपरान्त नवीनीकरण नहीं कराया गया। जो हथियार थाने में दिनांक 27.09.2018 जो जमा कराया गया वह भी अधिक समय उपरान्त जमा कराया गया जो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त तथ्यों का भी अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उजर नहीं किया गया और गुमराह किया गया। विप्र फाउण्डेशन की शिकायत पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समक्ष अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर से जांच कराई जिन्होनें जांच उपरान्त अनुज्ञापत्र निलम्बन की अनुशंसा की गईं। पत्रावली पर उपलब्ध सम्रग दस्तावेजों एवं अपने कथन अभिलिखित करते हुए पूर्ण विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत विधि सम्मत निर्णय पारित कर अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र निलम्बित किया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस, अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस मय संलग्न नजीरों का ससम्मान अवलोकन एवं मनन किया, प्रस्तुत एवं उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन एवं विश्लेषण किया।

यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को जारी अनुज्ञा पत्र संख्या–01/2005 में दो हथियार क्रमशः एक 0.32 बोर रिवाल्वर न. जे–4916 एवं एक 0.12 एसबीबीएल गन. 1122 दर्ज है और दोनों हथियारों में 50–50 गोली दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में यह अंकन

किया गया है कि उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का दिनांक 31.12.2017 के पश्चात नवीनीकरण नहीं कराया गया है। अपीलार्थी द्वारा दौराने अपीलीय कार्यवाही यह अवगत कराया गया कि उक्त अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण दिनांक 30.05.2020 कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञा पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई जिसके अवलोकन से यह पाया गया कि यह अनुज्ञा गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश के लिये शासन सहायक सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के आदेश दिनांक 31.05.2017 से दिनांक 30.05.2020 subject to renewal and local restrictions तक बढ़ाया गया। यह अनुज्ञा गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश के लिए सशर्त उस समय दिनांक 31.05.2017 को जारी की गई जब अनुज्ञा पत्र की वैद्यता दिनांक 31.12.2017 तक थी। जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के क्षेत्राधिकार हेतु अनुज्ञा पत्र को दिनांक 31.12.2017 के उपरान्त नवीनीकरण नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश सम्बन्धित कार्यवाही कर अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सिर्फ एक शस्त्र 0.12 एसबीबीएल गन. 1122 ही सुरजपोल थाने में जमा कराई गई। अन्य शस्त्र 0.32 बोर रिवाल्वर न. जे–4916 एवं दोनों शस्त्रों की गोली थाने में जमा नहीं कराई गई, जो नियम विरूद्ध है।

जहां तक वाटिका में घटित घटना का सम्बन्ध में है, इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस विभाग से जांच उपरान्त रिपोर्ट प्राप्त की गई और अपीलार्थी पर दर्ज विभिन्न मुकदमों के आधार पर पुलिस द्वारा लाईसेंस निलम्बन की सिफारिश की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी सतुंष्टि लिखित करते हुए अनुज्ञा पत्र निरस्ती का आदेश पारित किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों के ससम्मान अवलोकन से यह पाया गया कि प्रस्तुत निर्णय हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुज्ञा पत्र निरस्ती आदेश में उन सभी विधिक प्रावधानों का अपने निर्णय में वर्णन किया गया जिसके अनुपलब्धता के आधार पर विभिन्न न्यायालयों के अपने निर्णयों में अंकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, अपीलार्थी द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया जिसका वर्णन आलौच्य आदेश में किया गया है। प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर की स्पष्ट रिपोर्ट मय अनुशंसा के आधार पर, अपीलार्थी के प्रत्युतर पर विचार विश्लेषण कर, जन सुरक्षा की दृष्टि से एवं श्री सुशील जैन द्वारा अनुज्ञा की शर्तों का उल्लधन करने से, नवीनीकरण कराये बिना हथियार एवं गोली बिना वैध अधिकार के अपने चैतन्य आधिपत्य में रख कर आपराधिक कृत्य करने से जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 04.06.2019 से अपीलार्थी को जारी अनुज्ञा पत्र संख्या–01/2005 तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया, जो सर्वथा उचित एवं विधि सम्मत है। उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2020 को सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर